

कायालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

निविदा सूचना

भिलाई, दिनांक : 06/08/2026

लो.क.वि./जोन-2/2025/82

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत राक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विद्युत एस.ओ.आर. 01.06.2020 एवं आयटम दर अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहूर्तबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जारी करने की तिथि - 06.05.2026
 आवेदन की अंतिम तिथि - 28.05.2026 सायं 5:30 बजे तक
 निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 05.06.2026 सायं 5:30 बजे तक
 निविदा खोले जाने की तिथि - 08.06.2026 to till date

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	जोन क्रमांक 02 अंतर्गत ए.सी.प्रेसर पाइप लाइन संधारण कार्य।	06.95	5000.00	750.00	आवश्यकतानुसार	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
2	वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड में निर्मित सार्वजनिक सियान सदन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
3	जोन क्रमांक 02 अंतर्गत डी.आई.पाइप से एम.डी.पी.ई. पाइप लाइन का इंटरकनेक्शन कार्य।	03.50	3500.00	750.00	आवश्यकतानुसार	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
4	विधायक निधि अंतर्गत खण्डेलयाल भवन के पास सार्वजनिक स्थान में प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	3.20	3500.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
5	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर के लोकागन परिसर में सार्वजनिक प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	03.00	3000.00	750.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
6	प्रजापति भवन के पास सार्वजनिक स्थान में प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।	2.00	2000.00	300.00	120 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
7	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 अम्बेडकर नगर में सड़क का संधारण एवं स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य। (द्वितीय निविदा)	4.00	4000.00	750.00	60 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म बी. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
8	वार्ड क्रमांक 21 कैलाशन नगर कुरुद में पार्श्व निधि से सियान सदन के पीछे दादा दादी नानी नानी उद्यान में सैनिक फेंसिंग कार्य। (द्वितीय निविदा)	1.50	2000.00	300.00	45 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम
9	मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर सांस्कृतिक भवन में बीपीओ सेक्टर खोले जाने हेतु विभिन्न संधारण कार्य एवं निर्माण कार्य।	5.34	5500.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए.वी. सी. सोड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें-1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु वाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्ट्रॉतो से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एफ.डी.आर. नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्य हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09. शपथ पत्र। 10. प्रस्तुत दरतावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दरतावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाईट से देखी जा सकती है।

जोय आयुक्त
 जोन क्रमांक-02
 नगर पालिक निगम